मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय

1. विश्वविद्यालय का नाम : मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय

2. परिनियम का क्रमांक : **परिनियम क्रमांक – 7** वित्त समिति का गठन

3. अनुमोदन करने वाला प्राध्किरण एवं तिथि : विश्वविद्यालय प्रबन्ध् बोर्ड द्वारा दिनांक 9.10.96 को अनुमोदित

4. प्रस्तावित परिनियम के प्रभावशील होने की तिथि : विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुमोदन के दिनांक से

परिनियम :–

1. **(v)** विश्वविद्यालय की वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

   i. कुलपति – **अध्यक्ष**
   ii. प्रमुख सचिव'सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई अध्किारी जो उपसचिव से कम स्तर का न हो – **सदस्य**
   iii. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई अध्किारी जो उपसचिव से कम स्तर का न हो – **सदस्य**
   iv. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई अध्किारी जो अतिरिक्त संचालक से कम स्तर का न हो – **सदस्य**
   v. कुलसचिव – **सदस्य**
   vi. वित्त अध्किारी – **सदस्य सचिव**

   (c) समिति की बैठक के लिये कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति पर ही कोरम पूर्ण माना जायेगा।

   (l) वित्त समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

   (n) वित्त समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

2. (i) वित्त समिति विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी।

   (ii) वित्त समिति की सहमति के बगैर विश्वविद्यालय का कोई भी प्राध्किारी वित्तीय मामलों से संबंध्ति कोई निर्णय नहीं लेगा।

3. विश्वविद्यालय के अधिनियम के उपबन्धें और उनके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए वित्त समिति निम्न लिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी –

   (i) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना।

(ii) विश्वविद्यालय के वित्तीय बजट का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व, करना और समय–समय पर बजट का संशोध्न स्वीकृत करना।

(iii) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के प्रस्तावों को स्वीकृत करना और सुनिश्चित करना।

(iv) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और प्रतिवेदन के प्रकाश में समुचित निर्देश देना।

(सतीश पाण्डेय)
कुलसचिव